भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *229
गुरूवार, 10 अगस्त 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

रोजगार से संबंधित आँकड़े

***229. डा. वी. शिवादासनः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में कुल कार्यबल में से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/कार्मिकों की प्रतिशतता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के वर्ष-वार आँकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुल कार्यबल में से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत कितना है; और

(घ) सार्वजनिक रोजगार की परिभाषा क्या है और भारत में सार्वजनिक रोजगार का प्रतिशत कितना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“रोजगार से संबंधित आँकड़े” के संबंध में डा. वी. शिवादासनः द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 10.08.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *229 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के संबंध में रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात अर्थात् डब्ल्यूपीआर वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 50.9%, 52.6% और 52.9% था। यह आंकड़े देश में समग्र रोजगार में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी वेतन और भत्तों पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन में नियमित सिविलियन कर्मचारियों की संख्या दिनांक 01 मार्च, 2020, दिनांक 01 मार्च, 2021 और दिनांक 01 मार्च, 2022 को क्रमशः 31.91 लाख, 31.15 लाख और 30.64 लाख थी। राज्य सरकार-वार जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,61,550 थी। इसके साथ-साथ, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में नियुक्ति के लिए 1,03,196 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है।

इसके साथ-साथ, वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 9.20 लाख, 8.61 लाख और 8.60 लाख थी।

पीएलएफएस रिपोर्टों के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुल अनुमानित रोजगार क्रमशः 47.14 करोड़, 48.78 करोड़ और 53.53 करोड़ थे। कुल रोजगार में से, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान संगठित क्षेत्र में अनुमानित रोजगार क्रमशः 9.05 करोड़, 9.46 करोड़ और 9.55 करोड़ थे।

इसके अलावा, ईपीएफओ अंशदाताओं में निवल वृद्धि, रोजगार सृजन, रोजगार बाजार की सामान्य स्थिति और संगठित एवं अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि इस प्रकार है:

(संख्या में)

वर्ष	ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि (सभी आयु)
2020-21	77,08,375
2021-22	1,22,34,625
2022-23	1,38,51,689

स्रोत: ईपीएफओ, पे-रोल डेटा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार शामिल है। यह अनुच्छेद किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

****